



GST रटिर्न में उत्तर प्रदेश सबसे आगे

चर्चा में क्यों?

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (Goods and Services Tax Network- GSTN) के अनुसार, उत्तर प्रदेश, तमलिनाडु और महाराष्ट्र मासिक रूप से **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** रटिर्न में अग्रणी हैं, जो उनकी आर्थिक क्षमता को दर्शाता है।

- GST एक मूल्य वर्द्धति कर है जो घरेलू उपभोग के लिये बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है।

मुख्य बढि:

- अप्रैल 2024 में देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य **उत्तर प्रदेश** ने अपने मासिक लेन-देन (GSTR-3B के रूप में) का सारांश देते हुए **908,900** से अधिक GST रटिर्न की सूचना दी।
 - औद्योगिक तमलिनाडु ने **880,200** से अधिक GST रटिर्न दाखलि कयि।
 - महाराष्ट्र **798,600** से अधिक GST रटिर्न के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
- मासिक रटिर्न दाखलि करने से राज्य में व्यावसायिक गतिविधि, अनुपालन स्तर, राजस्व क्षमता, कर प्रशासन दक्षता और वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग प्रतबिबिति होती है।

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN)

- GSTN भारत में GST के लिये एक अप्रत्यक्ष कराधान मंच प्रदान करता है।
- यह प्लेटफॉर्म करदाताओं को रटिर्न दाखलि करने, भुगतान करने और अप्रत्यक्ष कर नियमों का अनुपालन करने में मदद करता है।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं तथा अन्य हतिधारकों को सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढाँचा एवं सेवाएँ प्रदान करता है।
- GSTN एक सरकारी स्वामित्व और सीमति देनदारी वाली गैर-लाभकारी कंपनी है। इसे वर्ष 2013 में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत शामिल कयि गया था।
- इसमें एक अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।
 - GSTN बोर्ड ने जून 2022 में आयोजति अपनी 49वीं बोर्ड बैठक में इसे सरकारी कंपनी में बदलने की मंजूरी दी, अतः इसमें 100% हस्सेदारी सरकार (50% केंद्र सरकार के साथ और 50% राज्य सरकारों एवं केंद्रशासति प्रदेशों के साथ संयुक्त रूप से) के पास होगी